

रिखर

11-12-19  
वकील प्रार्थी उपस्थित। इस प्रार्थना पत्र से संबंधित मूल दावा संख्या 134/2018 निर्णित स्वीकार किया जा चुका है। अतः मूल दावा निर्णित हो जाने के फलस्वरूप यह पत्रावली निष्फल (Infructuous) हो चुकी है। पत्रावली पत्रावली फैसल सुमार होकर बाद तस्तीब तकमील दाखिल दफ्तर की जावे। बसरे इजलास सुनाया गया।



(रमेश देव)

उपखण्ड अधिकारी  
नोखा

